

जनता दल (यू.) व्यावसायिक प्रकोष्ठ, जिला-गया (बिहार)

अभि. काली भगत
सेवा में, जिला उपाध्यक्ष

बोधगया, गया (बिहार) 824231
मो-09931416129, 09334186691

प्रधानांक्सचिंष उद्योग विभाग

3384/13
07/11/13
High level - DT.D
दिनांक : 28/11/13

6089/13
07/11/13
बिहार, पटना
No. 0612-2217991

विषय - बिहार आद्यौगिक प्रोत्साहन निति 2011 के अंतर्गत मय होटल/पर्यटन उद्योग को प्रावधान के अनुसार स्थानीय स्तर पर सुविधा नहीं मिलने के संबंध में 06 NOV 2013

प्रसंग - वेबसाइट www.bihar industrial incentive policy 2011

महाशय,

बिहार आद्यौगिक प्रोत्साहन निति 2011 के अंतर्गत होटल/पर्यटन उद्योग को नियमानुसार उद्योग में पंजीकृत कराने के उपरान्त स्थानीय स्तर पर नियमानुसार सुविधा नहीं दिया जा रहा है। एवं स्थानीय पदाधिकारी कहते हैं कि मेरे विभाग से निर्देश अप्राप्त है।

विद्युत बोर्ड (बिहार पावर डिस्ट्रीबुसन कंपनी), विद्युत भवन, बेली रोड, पटना को इंडस्ट्रीयल पॉलसी 2011 के अनुसार डिमांड/फिक्स चार्ज में 5 साल के लिए एवं इलेक्ट्रीसीटी ड्यूटी में सात साल के लिए छुट देने के लिए स्थानीय पदाधिकारि को विभाग/बोर्ड का भी आदेश/निर्देश, नीति 2011 के अतिरिक्त चाहिए।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा विलासिता कर में सात साल के लिए छुट का प्रावधान है लेकिन स्थानीय पदाधिकारि को वाणिज्य विभाग से भी नीति के अतिरिक्त का निर्देश चाहिए।

प्रोत्साहन नीति 2011 को उद्योग विभाग का ज्ञापांक संख्या 691 पटना दिनांक 09.06.11 द्वारा प्रधान सचिव उद्योग विभाग ने निर्गत किया गया है। जिसमें प्रावधान एवं निर्देश स्पष्ट हैं एवं सभी को इसकी प्रतिक्रिपी उपलब्ध कराया गया है

इस बिहार आद्यौगिक प्रोत्साहन नीति 2011 को स्थानीय स्तर गया में लागु करने के लिए आवश्यक आदेश निर्गत करने की कृपा की जाय ताकि व्यावसायिक वर्ग को प्रावधान के अनुसार सुविधा मिल सके।

55/S.W.C.

श्री ए.के.शर्मा
12.11.13

विश्वसभाजन

(काली भगत) 28/11/13

जिला उपाध्यक्ष, गया

व्यावसायिक प्रकोष्ठ, जदयु

Email- kalibhagat@gmail.com